एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2347/2006
लाभेश कुमार बनाम यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान व अन्य

25.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री डी.के.भारद्वाज, अधिवक्ता याची की ओर से।
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता अयाचीगण की ओर से।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

यह रिट याचिका याची ने उसे मास्टर आफ कम्प्युटर एप्लीकेशन्स के पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दिये जाने के निर्देश अयाचीगण को देने की प्रार्थना के साथ इस आधार पर पेश की गयी है कि उसके द्वारा प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर के कुछ प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम समय पर घोषित नहीं किया गया है। अयाचीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उन परिस्थितियों में इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 24.3.2006 से अयाचीगण को निर्देश दिया था कि वे याची को पांचवे सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दें किन्तु परिणाम घोषित नहीं किया जावे। अयाचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय को सूचित किया कि याची ने जिन प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन किया था उनका परिणाम घोषित किया जा चुका है तथा वह उनमें उत्तीर्ण हो चुका है। इस आधार पर याची पांचवे सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने हेतु पात्र हो जाता है।

अयाचीगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त कथन के परिपेक्ष्य में यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है एवं अयाचीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याची के पांचवे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित करे। याची भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में नियमानुसार बैठने हेतु पात्र होगा।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति